बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

दिनांक 13/12/2007

पत्रांक– 04

सेवा में,
माननीय उप मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना ।

विषयः बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लंबित वित्तीय मॉगो के संबंध में स्मार पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में संघ आपके समक्ष निम्नलिखित वित्तीय मॉगो को रखने की अनुमति चाहता है :–

(1) बिहार सिविल सेवा के पूर्व में दो अंग थे :–

(क) कार्यपालिका शाखा ।

(ख) न्यायपालिका शाखा ।

न्यायपालिका शाखा का वेतनमान 6500–10500 से बढ़ाकर 9000–14500/–रू0 कर दिया गया है परन्तु कार्यपालिका शाखा (बिहार प्रशासनिक सेवा) का वेतनमान अबतक 6500–10500/–रू0 है ।

दिनांक 19 फरवरी, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा में यह घोषणा की गयी थी कि इस सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान 8000–13500/– रू0 कर दिया जायेगा । तत्संबंधी संलेख तैयार कर भवदीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन आपके स्तर से कर दिया गया, परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय के पृच्छा के बाद वह संलेख अपर वित्त आयुक्त और वितायुक्त के बीच लंबित पड़ी हुई है । ''संघ'' का आग्रह होगा कि इसका निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र कराते हुये माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करने की कृपा की जाय ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक............................

2. टाइम स्केल की स्वीकृति करने के संबंध में :– बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य के प्रथम सेवा होने के बावजूद इस सेवा के पदाधिकारियों को पहली नियमित प्रोन्नति 18 साल के बाद ही मिल पाती है और दूसरी प्रोन्नति 25 से 26 वर्ष के बाद । अन्य राज्यों में यह पहली और दूसरी प्रोन्नति क्रमशः 8 एवं 16 साल में मिल जाती है । संघ का यह आग्रह होगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल को बनाये रखने के लिये पूरी सेवा अवधि में कम–से–कम 3 टाईम स्केल अनुमान्य करने हेतु वित्त विभाग को आदेश देने की कृपा करेंगे ।

3. कठिन कर्त्तब्य भत्ता में बढ़ोत्तरी :– आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य अत्यन्त ही कठिन एवं खतरों से भरा हुआ है । बाढ़ हो या सुखाड़ सबसे पहले हमारे ही सेवा के पदाधिकारी पहुँचते है । इसके साथ–साथ विधि व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिये हमें ही आगे रहना पड़ता है । वर्ष 1980 में इस कार्य के लिये बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 75–100 रूपये कठिन कर्त्तब्य भत्ता के रूप में राशि स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1980 के बाद अब तक इस भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है । संघ का यह आग्रह होगा कि इस भत्ते में बढ़ोतरी करते हुये प्रति माह 1000/–रू0 करने की कृपा की जाय ।

4. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को समाचार–पत्र भत्ता, दूरभाष भत्ता की सुविधा, नौकर भत्ता, एल0टी0सी0 की सुविधा जैसे अन्य सुविधाएँ सरकार द्वारा अनुमान्य किया गया है, परन्तु इस सेवा के पदाधिकारियों को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई है । ''संघ'' का यह अनुरोध होगा कि समाचार –पत्र भत्ता, दूरभाष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक........................

भत्ता, स्वागत भत्ता जैसे अन्य सुविधाएँ इस सेवा के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

महोदय आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य अन्य सेवाओं से बिल्कुल अलग है और उनकी जिम्मेवारी गुरूत्तर है । ये विकास के रीढ़ है । इनके कठिन परिश्रम के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । जब तक इस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा शर्त्तो में सुधार नहीं होगा तबतक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति कठिन है ।

हमें आशा है कि उपर्युक्त परिस्थिति में वित्तीय मॉगों पर शीघ्र विचार करने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन

13/2/07

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव